भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

मार्च, 2022 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. मार्च माह महीने के दौरान वित्त मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल (634.61 करोड़ रुपये), कर्नाटक (473.90 करोड़ रुपये), असम (237.20 करोड़ रुपये), पंजाब (205.20 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (861.40 करोड़ रुपये) राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मूल (अबद्ध) अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरएलबी/टीएलबी द्वारा पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव सहित बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं में सुधार के लिए घरेलू अपशिष्ट के प्रबंधन और उपचार, मानव मल-मूत्र प्रबंधन आदि हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा क्रमशः पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिशों पर क्रमशः अबद्ध (बेसिक) और बद्ध अनुदान के लिए राज्यों को कुल 44,901.00 करोड़ रुपये के आवंटन में से 37,300.33 करोड़ रुपये (83.07%) ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत जारी किए गए हैं।

3. पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना को माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा 17 मार्च, 2022 को हितधारकों - राज्यों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्यों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की भागीदारी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया गया है।

4. स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए घरों के गृह-मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। त्रिपुरा की स्वायत्त जिला परिषद, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम के कार्बी एनालॉग भी शामिल किए गए हैं। स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा/निगरानी के लिए तीसरी बैठक अंतर-मंत्रालयी समिति आयोजित की गई थी। 11 मार्च, 2022 को, माननीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ने सांसदों और विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में ड्रोन उड़ान शुरू होने की सूचना देने के लिए एसएमएस भेजने के लिए नई कार्यक्षमता का शुभारंभ किया। इससे योजना की व्यापक पहुंच और पारदर्शिता में मदद मिलेगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) की भागीदारी से, यह योजना कार्यान्वयन के बारे में जनता के बीच भरोसा प्रदान करेगा। अब तक, 1,21,933 गांवों में ड्रोन उड़ान और 117 जिलों के सभी बसे हुए गांवों में ड्रोन-सर्वेक्षण पूरा किया गया है।

5. myGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजना पर नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना पर प्रश्नोत्तरी के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है और इसे myGov टीम के साथ साझा किया गया है।

6. पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध वित्त के प्रबंधन के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) अपनाने के लिए सख्ती से प्रयासरत है। इस संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत (जीपी) पंजीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। चालू वर्ष अर्थात 2021-22 में 86 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने अपनी मासिक पुस्तकें बंद कर दी हैं।

7. 2,35,989 पंचायती राज संस्थाओं में ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) शामिल है। मार्च 2022 के महीने में, 2,03,456 पंचायती राज संस्थाओं ने 15 वें वित्त आयोग अनुदान के व्यय के लिए eGSPI का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

8. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना; एमओपीआर ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 23 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है।

9. साथ ही, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत एक एप्लीकेशन - ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने पहले ही 7,929 लेखापरीक्षकों, 2,56,985 लेखापरीक्षितों को पंजीकृत कर लिया है और 14वें वित्त आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए 1,32,176 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा योजना तैयार की है। एप्लीकेशन पर राज्यों द्वारा 11,51,975 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और वर्ष 2019-20 के लिए 1,07,434 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,73,020 ग्राम पंचायतों, 2,309 बीपी और 175 जिला पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। राज्यों द्वारा 10,50,289 अवलोकन दर्ज किए गए हैं और कुल 86,884 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिनमें से 85,201 लेखापरीक्षा रिपोर्ट ग्राम पंचायतों द्वारा, 1,596 लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीपी द्वारा और 58 लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिला पंचायतों द्वारा तैयार की गई हैं।

10. सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में 12 नवंबर, 2021 शुक्रवार, को स्वामित्व योजना कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई। पंचायती राज मंत्रालय के संदर्भ में सीओएस में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) निम्नवत है:

क्र.सं.	कार्रवाई योग्य	स्थिति
1	विभिन्न संसाधनों, ड्रोन आदि की उपलब्धता और तैनाती पर परिचालन संबंधी मुद्दों के समय पर समाधान के लिए सचिव (डीएसटी), भारतीय सर्वेक्षण विभाग और संयुक्त सचिव (एमओसीए) के साथ सचिव (एमओपीआर) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जा सकता	• आईएमसी का गठन और पहली बैठक 29 नवंबर, 2021 को हुई • 17 जनवरी, 2022 को आयोजित आईएमसी की दूसरी बैठक • 22 मार्च, 2022 को आयोजित आईएमसी की तीसरी बैठक

	है।	
2	स्वामित्वमें शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनबोर्ड करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ जुड़ सकता है	• स्वामित्व योजनापर ऑनबोर्डिंग के लिए राज्यों के साथ चल रही चर्चा। • स्वामित्व योजना में शामिल होने के संबंध में माननीय मंत्री, पीआर का पत्र मेघालय, नागालैंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया
3	एमओपीआर, डीओएलआर और डीएफ़एसअतिरिक्त सुविधाओं की सुविधा के लिए बंधक/गिरबी उद्देश्यों के लिए स्वामित्वकार्ड के उपयोग से संबंधित सभी मुद्दों की जांच कर सकते हैं।	• संपत्ति कार्डों की बैंकेबिलिटी के लिए बैंकों के साथ उनके जुड़ाव के संबंध में प्रगति के संबंध में राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।

11. आरजीएसए की योजना के तहत केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य को राज्यों की स्वीकृत एएपी के लिए 49.95 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

12. एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए मंत्रालय के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विशेषज्ञ समूहों की रिपोर्ट की स्वीकृति के संदर्भ में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान में 11 से 29 मार्च 2022 के दौरान वास्तविक मोड में एक सहित, तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन पूरे देश को कवर करने के लिए किया गया था।

13. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नौ विषयगत क्षेत्रों पर 24 मंत्रालयों/विभागों को शामिल करते हुए नौ संयुक्त एडवाइजरी जारी की गई।

14.पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और आईईसी सामग्री तैयार करने के लिए नौ समितियों का गठन किया गया था। इस संदर्भ में केआईएलए में 14 से 17 मार्च, 2022 तक 4 दिनों की राइटशॉप आयोजित की गई, जिसमें चयनित एसआईआरडी और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने एसडीजी के स्थानीयकरण पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और आईईसी सामग्री तैयार करने के लिए राइटशॉप में भाग लिया।

15. जीपीडीपी के एक भाग के रूप में लैंगिकता को शामिल करने के लिए 9 मार्च, 2022 को एक राष्ट्रीय एसडीजी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी एसआईआरडी ने भाग लिया। सचिव, पंचायती राज द्वारा महिला हितैषी पंचायत के कार्यशाला पोस्टर का उद्घाटन किया गया।

16. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11 से 17 अप्रैल तक भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जनभागीदारी की भावना से "आज़ादी का अमृत महोत्सव" जन उत्सव के रूप में आयोजित करने की तैयारी के लिए राज्यों को एड्वाइजरी जारी की गई थी। विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है जिसमें विशेषज्ञों की प्रस्तुतियां, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य के साथ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर शामिल हैं।

17. 1 मार्च, 2022 तक मंत्रालय के पास 77 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और मार्च माह के दौरान 292 (अर्थात 273 ऑनलाइन + 19वास्तविक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 369 (मार्च में प्राप्त 292 + पिछले महीने से अग्रेषित 77) में से 310 शिकायतों / याचिकाओं का मार्च में निपटारा किया गया और 59 को 1 अप्रैल, 2022 तक आगे बढ़ाया गया।

18. मार्च, 2022 के दौरान, ई-ऑफिस प्रणाली में 129 ई-फाइलें खोली गईं, जो माह के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

19. वर्ष 2014-15 से मंत्रालय के संबंध में सभी बजट घोषणाओं को लागू किया गया है और वर्ष 2021-22 में स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन पर बजट घोषणा वर्ष 2025-26 तक सभी गांवों को कवर करने के लिए लागू की जा रही है। इस योजना की नवीनतम प्रगति इस पत्र के पैरा 4 में दी गई है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of March, 2022

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month of March, Ministry of Finance on the recommendation of Ministry of Panchayati Raj has released 2nd installment of Basic (Untied) Grants for FY 2021-22 for Rural Local Bodies in the States of West Bengal (Rs. 634.61 crore), Karnataka (Rs. 473.90crore), Assam (Rs. 237.20 crore), Punjab (Rs. 205.20 crore) and Maharashtra (Rs. 861.40 crore).

2. During the Financial Year 2021-22, Fifteenth Finance Commission Grants (XV FC) for Rural Local Bodies (RLBs) to the tune of Rs.37,300.33crore (83.07%) out of total allocation of Rs. 44,901.00 crore has been released to the States by the Ministry of Finance on the recommendations of Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Jal Shakti respectively for Untied (Basic) and Tied Grants respectively for improving basic services and amenities including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc by RLBs/TLBs.

3. Disaster Management Plan of Ministry of Panchayati Raj has been released by Hon'ble Minister of Rural Development and Panchayati Raj on 17th March, 2022 in participation with the Stakeholders - States, National Disaster Management Authority (NDMA) and Disaster Management Authorities in States through Video Conference.

4. Under SVAMITVA Scheme aiming to provide the 'Record of Rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of Property cards to the Property owners, 29 States/UTs are on-boarded to implement the scheme. The autonomous District Council of Tripura, Bodoland Territorial Council and Karbi Analog of Assam have also joined. Third meeting inter-ministerial Committee was held to review/oversee/monitor implementation of the SVAMITVA scheme. **On 11th March, 2022, Hon'ble Minister of Panchayati Raj and Rural Development launched new functionality to send SMS to MPs and MLAs informing about the commencement of drone flying in their Constituency**. This will help in wider outreach and transparency of the scheme. With the involvement of Elected Representatives (ER), it will provide confidence among the masses about scheme implementation. **Till now, drone flying has been completed in 1,21,933 villages and drone-survey completed in all inhabited villages of 117 districts.**

5. To increase Citizen engagement on Scheme through myGov platform, Questionnaire for quiz on SVAMITVA Scheme has been prepared and shared with the myGov team.

6. For management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. In the current year i.e. 2021-22, 86% GPs have closed their month books.

7. 2,35,989 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of March 2022- 2,03,456 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

8. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; MoPR is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 23 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

9. Also,for strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. For the year 2019-20, 27 States (including Kerala) have already registered 7,929 Auditors, 2,56,985 Auditees and

prepared Audit Plans of 1,32,176 GPs for Auditing 14thFinance Commission accounts. 11,51,975 observations have been recorded by States on the application and 1,07,434 audit reports have been generated for the year 2019-20. For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 1,73,020 GPs, 2,309 BPs and 175 ZPs. 10,50,289 observations have been recorded by States and total 86,884 audit reports have been generated out of which 85,201 audit reports by GPs, 1,596 audit reports by BPs and 58 audit reports by ZPs have been generated.

10. A meeting of Committee of Secretaries (CoS) held under the Chairmanship of Cabinet Secretary on Friday, 12-Nov-21 to discuss the progress of SVAMITVA Scheme implementation. The Action taken Report (ATR) w.r.t. MoPR on the decisions taken in the CoS are as follows:

S.No	Actionable	Status
1	An Inter-Ministerial Committee (IMC) may be constituted under Secretary (MoPR) with Secretary (DST), SoI& JS (MoCA) for timely resolution of operational issues on availability and deployment of various resources, drones etc.	• IMC constituted and first meeting held on 29- Nov-2021 • Second meeting of IMC held on 17-Jan-2022 • • Third meeting of IMC held on 22-Mar-2022
2	MoPR may engage with State Governments to bring the remaining States/ UTs on board in SVAMITVA	• Ongoing discussions with States for onboarding on SVAMITVA. • Letter from Hon'ble Minister, PR sent to Hon'ble CM of the State of Meghalaya, Nagaland, Bihar,Telangana, West Bengalregardingonboarding on SVAMITVA Scheme
3	MoPR, DoLR and DFS may examine all issues related to use of SVAMITVA Cards for mortgage purposes for facilitation of additional facilities	• Follow up with the States regarding progress with respect to their engagement with banks for bankability of Property cards.

11. Funds to the tune of Rs.49.95 Cr has been released to State of Kerala, Sikkim, Arunachal Pradesh and Maharashtra under the scheme of RGSA towards the approved AAP of the states.

12. In context of acceptance of report of expert groups for localisation of SDG by Ministry for taking forward the vision of Ministry for localisation of SDG three regional workshops including one in physical mode at Kerala Institute of Local Administration were conducted to cover the entire country during 11th to 29th March, 2022.

13. Nine Joint Advisories involving 24 line Ministries/Departments were issued on nine thematic areas to take forward the process of localization of SDG through PRIs.

14. Nine Committees were constituted on preparation of training module and IEC material on Localisation of SDGs through PRIs in this context a 4 days' writeshop was organised at KILA from 14th to 17th March, 2022 wherein representative from selected SIRDs and UN Agencies participated in the writeshop for preparation of training module and IEC material on Localisation of SDGs.

15. A National SDG Workshop was organised on 9th March 2022, for Integrating Gender as a part of GPDP. The workshop was attended by all SIRDs. As part of workshop poster for women friendly panchayat was inaugurated by Secretary Panchayati Raj.

16. Advisories were issued to the states for preparation to organise "Azadi Ka Amit Mahaotsav" as Jan Utsav in the spirit of Jan Bhagidari to commemorate the 75th Anniversary of India's Independence from 11th to 17 April at Vigyan Bhawan, New Delhi. Different activites are planned that cover presentations from experts, signing of resolution with UN Agencies, Central ministries and others.

17. There were 77 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st March, 2022 and 292 (i.e. 273 online + 19 physical) grievances/ petitions were received during the month of March. Out of total 369 (292 received in March + 77 carried forward from last month), 310 grievances/petitions were disposed in March and 59 were carried forward as on 1st April, 2022.

18. During March 2022,129 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

19. All the budget announcements in respect of the Ministry since 2014-15 has been implemented and the budget announcement on Nationwide implementation of SVAMITVA scheme in 2021-22 budget is under implementation to cover all villages by 2025-26. The latest progress of the scheme has been given in para 4 of this letter.

****